



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012021-224583
CG-DL-E-20012021-224583

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2021/पौष 30, 1942

No. 256]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021/PAUSHA 30, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2021

का.आ. 277(अ).— भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया & बोकारो-धामरा पाइप लाइन (जे एच बी डी पी एल) और स्पर पाईप लाईन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतिया साधारण जनता को उपलब्ध कर

दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जगदीशपुर- हल्दिया- बोकारो- धामरा पाइपलाइन (जे०एच०बी०डी०पी०एल०) एवम स्पर पाइपलाइन प्रोजेक्ट								
दुर्गापुर - हल्दिया, सेक्सन -3 बी								
अनुसूची								
राज्य - पश्चिम बंगाल								
ft yk	Cykd	ek tk	Fkkuk u-	uD'kk	l o' u-	{k=QG gDVvj&vkj&oxi elVj}		
1	2	3	4	5	6	7		
हुगली	पोलबा दादपूर	डालीम्बा	19	आर.एस.	294	0	05	54
					295	0	08	38

[फा. सं. एल-14014/61/2020-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi the 15th January, 2021

S.O. 277(E).— Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of Natural Gas through Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra pipeline (JHBDPL) & spur pipeline, in the State of West Bengal, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein.

Any Person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date of which the copies of the Notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, GAIL (India) Limited.

SCHEDULE

JAGDISHPUR-HALDIA-BOKARO-DHAMRA PIPELINE (JHBDPL) & SPUR PIPELINE PROJECT								
DURGAPUR - HALDIA, SECTION -3B								
Schedule								
State : West Bengal								
District	Block	Mauza	J.L. No.	Map	Survey No.	Area		
						Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6	7		
Hooghly	Polba - Dadpur	Dalimba	19	RS	294	0	05	54
					295	0	08	38

[F. No. . L-14014/61/2020-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.